आ0परि0सं0 825/2022
प्रशान्त काला बनाम सोहन लाल

दिनांक 22.05.2024

आज पत्रावली अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कमल प्रसाद बमराड़ा सी0ली0ए0डी0सी0 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर कार्यालय से तलब होकर पेश हुई। वाद पुकारा गया।

अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त के मामले में दिनांक 28.05.2025 की तिथि नियत है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रश्नगत मामले में दिनांक 19.05.2025 से निरूद्ध है व वर्तमान में जिला कारागार पौड़ी में है। प्रार्थी/अभियुक्त की पत्रावली अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 हेतु नियत है। न्याय एवं समता की दृष्टि से व पत्रावली के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रार्थी/अभियुक्त को जिला कारागार पौड़ी से तलब कर प्रार्थी/अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 को लिपिबद्ध किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय से पत्रावली तलब कर बयान दर्ज करवाना चाहता है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त की पत्रावली नियत तिथि से पूर्व नियत की जानी आवश्यक है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की पत्रावली तलब कर प्रार्थी/अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 दर्ज करने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि हस्तगत वाद में पत्रावली अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 हेतु नियत थी। तदोपरान्त अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध जारी गैर जमानती वारण्ट पर उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा उक्त अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेजा गया। उक्त अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार पौड़ी गढ़वाल में निरूद्ध है तथा विचाराधीन बन्दी की श्रेणी में भी आता है। अतः हस्तगत वाद के तथ्यों, अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किये गये अभिकथनों के दृष्टिगत एवं विचाराधीन बन्दी के मामले के शीघ्र निस्तारण हेतु उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार मामले में अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्रं0सं0 हेतु पत्रावली दिनांक 23.05.2025 को पेश हो।

परिवादी पक्ष को तद्नुसार सूचित किया जाय। अभियुक्त की उपस्थिति हेतु उसका तलबी वारण्ट तैयार कर जिला कारागार पौड़ी गढ़वाल प्रेषित किया जाय। कार्यालय आवश्यक अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(प्रतीक मथेला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पौड़ी गढ़वाल।